☎ कार्यालय– 05947–251259

E-Mail :- eecdujnramnagar@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण शाखा,

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

रामनगर (नैनीताल) पिन कोड–244715

पत्रांक 656 / पेयजल-148 / 07 दिनांक 02 / 05 / 2023

संशोधित

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग,
रामनगर।
Email-dfo_ramnagar@rediffmail.com

विषयः– **जनपद नैनीताल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 605/2019 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन के प्रस्तावित ढ़िकुली पेयजल योजना रामनगर (नैनीताल) के निर्माण हेतु 0.075 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/09/41/2022/एफ0सी0/1511 दिनांक 03.02.2023 तथा आपका पत्रांक 2242/12–1 दिनांक 21.02.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 554/पेयजल–148/04 दिनांक 11.04.2023।**

महोदय,

विषयः– जनपद नैनीताल में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषण संख्या– 605/2019 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन के प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना रामनगर (नैनीताल) के निर्माण हेतु 0.075 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तरखण्ड उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो तथा आपके सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त डिमांड नोट की अनुपालन आख्या निम्नतालिकानुसार है–

शर्ते	अनुपालन/टिप्पणी
शर्त संख्या 01– वनभूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	अनुपालन किया जायेगा।
शर्त संख्या 02– परियोजना के लिए आवश्यक गैर–वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर–वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
शर्त संख्या 03 क– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 280 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहाँ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	प्रयोक्ता अभिकरण से प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 280 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त डिमांड नोट के अनुसार रू० 4,50,800.00 (रू० चार लाख पचास हजार आठ सौ मात्र) का भुगतान कर दिया गया है। (संलग्नक–1)
शर्त संख्या 03 ख– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पौधारोपण क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यायल को प्रस्तुत करेगा।	के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण को पौधारोपण क्षेत्र का नाम एवं Coordinates वन विभाग से प्राप्त होते ही क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र उचित माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

☎ कार्यालय– 05947–251259 E-Mail :- eecdujnramnagar@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण शाखा,

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

रामनगर (नैनीताल) पिन कोड–244715

भारत सरकार के पत्र में वर्णित बिन्दु सं० 3 (क) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 280 पौधो का रोपण कार्य एवं 10 वर्षो तक रखरखाव की धनराशि रूपये 1610/पौध X 280 = रू० 450,800.00 (चार लाख पचास हजार आठ सौ) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। जिसका आंगणन प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं० 1459/3–5–2 PO दिनांक 01.07.2021 के अनुसार किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण से प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 280 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त डिमांड नोट के अनुसार रू० 4,50,800.00 (रू० चार लाख पचास हजार आठ सौ मात्र) का भुगतान कर दिया गया है। (संलग्नक–1)
शर्त संख्या 03 ग– के अनुपालन में प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी० क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी० क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 04 – प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शमिल किए जा सकते है।	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शमिल किए जा सकते है। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 05 क– के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि 0.075 है० X रूपये 1228590.00 = रूपये 92144.25 या 92144.00 (बयानबे हजार एक सौ चवालीस) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू० 92144.00 (बयानबे हजार एक सौ चवालीस) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा कर दिया गया है। (संलग्नक–2)
शर्त संख्या 05 ख – के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न। (संलग्नक–3)
शर्त संख्या 6– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 28 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 28 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में काटे जायेंगे। शर्त मान्य

कार्यालय– 05947–251259

E-Mail :- eecdujnramnagar@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण शाखा,

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

रामनगर (नैनीताल) पिन कोड–244715

पर्यवेक्षण में काटे जायेंगे।	है।
शर्त संख्या 7– Prior approval under FC Act, 1980 Should be taken if any electric line or water distribution pipe-line is planned in future in the forest area.	Prior approval under FC Act, 1980 Should be taken if any electric line or water distribution pipe-line is planned in future in the forest area. शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 8– परियोजना के तहत प्रयोक्ता अधिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh –nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनिकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किया जायेगा।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अधिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh –nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनिकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किया जायेगा। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 9– गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 10– के अनुपालन में FRA, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	FRA, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 11– नवीतम वन (संरक्षण) नियम 28.06. 2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष के न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature Plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	नवीतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष के न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature Plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 12– वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलो को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेंगे।	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलो को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेंगे। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 13– नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 14– राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नही किया जायेगा।	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नही किया जायेगा। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 15– के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। शर्त मान्य है।

E-Mail :- eecdujhra...
☎ कार्यालय– 05947–251259

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
सभवपर (पैनीखेत) पिन कोड–244715

शर्त संख्या 16– के अनुपालन मं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का Layout Plan नही बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का Layout Plan नही बदला जाएगा। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 17– वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 18– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों का राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा परियोजना लागत पर सीमांकन किया जायेगा। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 19– सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हो।	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हो। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 20– परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 21– वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 22– केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 23– इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 24– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रायल द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रायल द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 25– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवा निस्तारित करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवा निस्तारित करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नही किया जायेगा। शर्त मान्य है।

कार्यालय– 05947–251259

E-Mail :- eecdujnramnagar@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण शाखा,

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

रामनगर (नैनीताल) पिन कोड–244715

शर्त संख्या 26– के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेवारी होगी। शर्त मान्य है।
शर्त संख्या 27– के अनुपालन में अनुपालन आख्या/रिपोर्ट ई–पोटर्ल (https://parivesh –nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	आख्या/रिपोर्ट ई–पोटर्ल (https://parivesh –nic-in/) पर अपलोड की जायेगी। शर्त मान्य है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

02/5/23

(एन०के०गोयल)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. अधीक्षण अभियन्ता/नोडल अधिकारी जल जीवन मिशन, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, काठगोदाम, हल्द्वानी।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com दूरभाष / फैक्स नं0 05947–251362

पत्रांकः– 2242 / 12-1 दिनांक, रामनगर 21/2/ 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
रामनगर।

विषयः– **जनपद नैनीताल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 605 / 2019 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन के प्रस्तावित ढ़िकुली पेयजल योजना रामनगर (नैनीताल) के निर्माण हेतु 0.075 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 09 / 41 / 2022 / एफ0सी0 / 1511 दिनांक 03.02.2023।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना है। जिसका डिमान्ड नोट निम्न प्रकार हैः–

शर्त सं0 03 क – के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिय 280 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हु ये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहॉ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

शर्त सं0 03 ख – के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पौधारोपण क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

भारत सरकार के पत्र में वर्णित बिन्दु सं0 3(क) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 280 पौधों का रोपण कार्य एवं 10 वर्षो तक रखरखाव की धनराशि रूपये 1610 / पौंध X 280 = रू0 450,800.00 **(चार लाख पचास हजार आठ सौ)** मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। जिसका आगणन प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0 1459 / 3–5–2 PO दिनांक 01.07.2021 के अनुसार किया गया है।

शर्त सं0 05 क – के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि 0.075 है0 X रूपये 1228590.00 = रूपये 92144.25 या 92144.00 **(बयानबे हजार एक सौ चवालीस)** मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

शर्त सं0 05 ख – के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।

शर्त सं0 6 – के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पंड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 28 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में काटे जायेंगें।

शर्त सं0 08 – परियोजना के तहत प्रयोक्ता अधिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनिकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किया जायेगा।

शर्त सं0 10 – के अनुपालन में FRA, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

शर्त सं0 15 – के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

शर्त सं0 16 – के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

शर्त सं0 18 – के अनुपालन में सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर सीमांकन किया जायेगा।

शर्त सं0 25 – के अुनपालन में प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवा निस्तारित करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।

शर्त सं0 22 – के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।

शर्त सं0 23 – के अनुपालन में अनुपालन आख्या/रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा सन्दर्भित पत्र से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तो की अनुपालन आख्या/रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय,

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांकः– / तद्दिनांकितः–

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- mocf.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- mocf.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/09/41/2022/एफ.सी./1511 दिनांक:03/02/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद– नैनीताल में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 605/2019 के अंतर्गत जल जीवन मिशन के प्रस्तावित ढ़िकुली पेयजल योजना रामनगर (नैनीताल) के निर्माण हेतु 0.075 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal no. FP/UK/Water/151514/2022)**

सन्दर्भः– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 2676/ FP/UK/Water/151514/2022 दिनांक 07.05.2022**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.01.2023 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार– **जनपद– नैनीताल में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 605/2019 के अंतर्गत जल जीवन मिशन के प्रस्तावित ढ़िकुली पेयजल योजना रामनगर (नैनीताल) के निर्माण हेतु 0.075 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**
   क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 280 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।**
   ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।
   ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **0.075** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार **28 वृक्षों** से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. Prior approval under FC Act, 1980 should be taken if any electric line or water distribution pipe-line is planned in future in the forest area.

8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

9. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

10. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

11. **नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।**

12. **वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।**

13. **नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।**

14. **राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।**

15. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

16. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

17. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
19. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
20. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
21. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
22. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
23. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
24. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
25. प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।
26. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
27. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वन)

प्रपत्र–45

परियोजना का नाम– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 605/2019 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन में प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना हेतु 0.075 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लीज अवधि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि को 30 वर्षो की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

अधिशासी अभियन्ता
पेयजल निगम रामनगर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम
रामनगर (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

प्रमाणित
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर